

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या : 07/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
दाना पुत्र स्व. सोन्या जाति मीणा निवासी ग्राम घाटाजलधारी तहसील जमवारामगढ जिला
जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री दिनेश कुमार शर्मा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण ।
2. रामकरण पुत्र कल्याण सहाय जाति मीणा निवासी गुणावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
3. गोरा देवी पत्नी श्रवण जाति मीणा निवासी गुणावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
4. नानगी देवी पत्नी बाबूलाल जाति मीणा निवासी गुणावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
5. श्रीमती भौरी देवी पत्नी रामकरण जाति मीणा निवासी गुणावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण के समक्ष
विचाराधीन प्रकरण संख्या 93/2023 ब उनवानी दाना बनाम रामकरण व अन्य
को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत ।

उपस्थित:-

1. श्री जुगल किशोर शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सारांश सक्सेना अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 से 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12.02.2024

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर
ग्रामीण के समक्ष प्रकरण संख्या 93/2023 ब उनवानी दाना बनाम रामकरण व अन्य
विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त
प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर
ग्रामीण से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से
वकील श्री सारांश सक्सेना उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ
न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे डे टू डे बिना किसी अपीलीय न्यायालय आदेश के बिना
सुनवाई की जा रही है। जबकि कानूनन सक्षम न्यायालय में वाद कार्यवाही लम्बित रहते
फिसिकल प्रोसेडिंग्स को स्थगित किया जाना चाहिये । साथ ही पीठासीन अधिकारी का

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रकरण में रवैया अप्राथीगण के पक्ष में जाहिर हो रहा है तथा ऐन केन प्रकारेण प्रकरण का फौरी तौर पर निस्तारण करने पर अधीनस्थ न्यायालय आमदा है। उक्त तथ्यों के अलावा अप्राथीगण खुले आम यह जाहिरा तौर पर कह रहे हैं कि उक्त हस्तगत प्रकरण का फैसला उनके पक्ष में ही होगा तथा आये दिन गांव चौपाल में भी वाते करते नजर आ रहे हैं कि हस्तगत प्रकरण में फैसला किसी भी सूत में प्रार्थी के पक्ष में नहीं होगा। हमारी पीठासीन अधिकारी से बात चीत हो गई है। उपरोक्तानुसार साफ जाहिर हो गया है कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। इस कारण लिहाजा प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में कानूनन व न्यायहित में मुत्तकिल किया जाना आवश्यक है। दिनांक 04.01.2024 को प्रार्थी द्वारा तारीख पेशी में हाजिर होने पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का रवैया पक्षपात पूर्ण नजर आने पर प्रकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया, तो संबंधित कर्मचारी द्वारा यह कहा गया कि पत्रावली आदेश हेत रिजर्व है इस कारण नकल नहीं दी जा सकती है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त तारीख पेशी को पत्रावली वास्ते बहस लिखितपेश करने हेतु दिनांक 10.01.2024 निर्धारित की गई थी। अर्थात् पत्रावली बहस में नियत थी इसके बावजूद भी प्रकरण की नकल उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इस कारण भी न्यायालय की कार्यवाही संदेहास्पद नजर आ रही है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने का आदेश फरमावे।


5. अप्राथी संख्या 2 लगायत 5 के अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय से एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर रखा है। पत्रावली में बहस सुनी जा चुकी है जिसमें प्रार्थी की ओर से लिखित बहस पेश करने का समय लिया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में प्राप्त स्थगन का नाजायज फायदा उठाने एवं प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की नियत से झूठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मय पत्रावली दिनांक 08.01.2024 को नकल शाखा में भिजवाई गई जहां से प्रार्थी के अधिवक्ता ने नकल प्राप्त कर ली है। प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से असत्य, कपोल कल्पित एवं मनघटन्त आरोप लगाते हुये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।
6. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण के पीठासीन अधिकारी ने मुत्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय से एक पक्षीय स्थगन प्राप्त किया हुआ है। पत्रावली में बहस सुनी जा चुकी है। एक तरफ तो अपीलार्थी की ओर से लिखित बहस पेश करने का समय चाहा गया है दूसरी तरफ प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी का यह कृत्य न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रार्थी ने

जिला कलक्टर
जयपुर

मुत्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुत्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। फलस्वरूप मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।


(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर